<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील/एल0आर0/5735/2005/अजमेर
मोतीलाल व अन्य बनाम सरकार</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
</table>

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता अपीलांटस।
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, राजकीय अधिवक्ता।

—

निर्णय

दिनांकः— 10.10.2023

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2005 के विरूद्ध पेश की गई है ।

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने आवंटन सलाहकार समिति, कैम्प, पीसांगन के समक्ष ग्राम की आराजी खसरा नंबर 2549 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा बारानी द्वितीय के छोटी पट्टी के रूप में आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे आवंटन सलाहकार समिति ने अपने आदेश दिनांक 09.06.2002 द्वारा अपीलांटस का आवंटन/नियमन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30—08—2005 द्वारा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। आवंटन कमेटी ने बिना किसी ठोस आधार के अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलांटस

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील/एल0आर0/5735/2005/अजमेर
मोतीलाल व अन्य बनाम सरकार</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>की अपील को केवल मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि कमेटी में पांच सदस्य उपस्थित थे। अतः पूर्ण कोरम द्वारा जो भी अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया, वह उचित था केवल इस फाइण्डिंग के आधार पर ही अपीलांटस की अपील को निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। उन्होंने आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन अपीलांटस को भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आने से निरस्त किया जाना मानकर अपील निरस्त करने में त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलांटस भूमिहीन काश्तकार है व आवंटन प्रार्थना पत्र की जांच में भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अपीलांटस के परिवार में नौ सदस्य है व अपीलांटस के हिस्से में केवल 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि आती है जो कि फ्रगमेंट से कम है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांटस भूमिहीन की श्रेणी में आते है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलांटस का कब्जा आराजी मुतनाजा पर संवत् 2032 से लगातार चला आ रहा है व अपीलांटस इस भूमि को नियमन कराने के अधिकारी है व अपीलांटस के कब्जे के आधार पर ही नियमन करने की सिफारिश भी आवंटन कमेटी को की गई थी किन्तु सरसरी तौर पर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन एवं नियमन निरस्त करने में आवंटन कमेटी ने त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2005 एवं आंवटन सलाहकार समिति कैम्प, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09. 06.2002 निरस्त किया जावें तथा आराजी खसरा नंबर 2549 की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन अपीलांटस के पक्ष में किए जाने का निर्देश अधी0न्याया0 को दिया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् निर्णय है। अपीलांटस का प्रार्थना पत्र आवंटन समिति द्वारा अपीलांटस को जानकारी में लाकर नियमों के तहत ही खारिज किया गया है। अपीलांटस भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह निर्णय समिति का निर्णय है ना कि अकेले आवंटन अधिकारी का। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5735/2005/अजमेर** **मोतीलाल व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवंटन सलाहकार समिति, कैम्प पीसांगन के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम की आराजी खसरा नंबर 2549 रकबा 8–2–00 बा.2 को छोटी पट्टी के रूप में आवंटन किये जाने पर आवंटन समिति ने अपीलांट के प्रकरण को अपने आदेश दिनांक 09.06.2002 द्वारा खारिज किया गया है । आवंटन समिति की उक्त बैठक में पांच सदस्य उपस्थित थे अर्थात् आवंटन समिति की बैठक का कोरम पूर्ण था । आवंटन समिति ने अपीलांट का आवंटन आवेदन पत्र भूमिहीन नहीं होने के आधार पर खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2005 द्वारा यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत् निर्णय है । परिणामतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2005 एवं आवंटन सलाहकार समिति, कैम्प पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2002 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	